न्यायालय– अपर सिंविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०–02, मथुरा

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1114/22

अपराध संख्या–570/2021

राज्य––––––––––बनाम–––––––उमेश सैनी

धारा–380, 411, भा०दं०सं०

थाना–गोवर्धन, मथुरा।

21.01.2022

अभियुक्त **उमेश सैनी** द्वारा अपराध संख्या–570/2021 धारा–380, 411, भा०दं०सं०, थाना गोवर्धन मथुरा में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त जिलाकारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त पूर्णत निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नही किया है। उपरोक्त रिपोर्ट थाने में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ की गई है। घटना 2–9–21 समय 14 बजे की बताई है लेकिन घटना की सूचना 3–9–21 को समय 22.22 बजे अर्थात घटना के लगभग 32 घण्टे बाद लिखाई गई है जबकि थाने से घटना स्थल की दूरी मात्र 1 कि०मी० की बताई गई है। अभियुक्त से पुलिस को किसी की कोई बरामदगी नही हुई है । उपरोक्त मुकदमें में सह अभियुक्त सुखदेव की जमानत दिनांक 27–9–2021 को प्रदान की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 5–9–2021 से जिला कारागार में अवरूद्ध है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

अभियुक्त पर तथाकथित रूप से आश्रम से मोटर साईकिल चोरी करने व उसके पास से मोटर साईकिल बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना उपरांत स्थानीय थाने द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त गिरफतार होकर दिनांक 04–09–2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **उमेश सैनी** का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 40 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्र०अपर सिंविल जज (सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०–02, मथुरा।